रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256442 CG-DL-E-16082024-256442

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2024/श्रावण 25, 1946

No. 3179]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2024/SHRAVANA 25, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

का.आ. 3495(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि लोहा और इस्पात उद्योग मे लगी हुई सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के क्रमश: मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 687 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 फरवरी, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) परन्तुक में यह उपबंध है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में लोक उपयोगिता सेवा की घोषणा का विस्तार अपेक्षित है, तो इसे छह महीने से अनिधक की अविध के लिए बढ़ाया जा सकेगा;

अतः अब केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय होने पर कि लोक हित में विस्तार अपेक्षित है,

5238 GI/2024 (1)

अधिसूचना संख्या का. आ. 687 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2024 में निर्दिष्ट अविध को 17 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अविध के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रम में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी।

[फा. सं. एस.-11017/01/2024-आईआर (पीएल)]

दीपिका कच्छल संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

S.O. 3495(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of industries engaged in the Iron and Steel, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 17th February, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 687(E), dated the 14th February, 2024;

AND WHEREAS the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the said Act provides that if the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a period not exceeding six months;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O.687(E), dated the 14th February, 2024 for a further period of six month from the 17th August, 2024 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/01/2024 -IR (PL)] DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.